न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

राजस्व केम्प कोर्ट ग्रां. पं. मोहब्बतपुरा

पीठासीन अधिकारीः— सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. 63/2017

1. श्योराम पुत्र छगना, जाति जाट, निवासी बासडी जोगियान, तह. फागी, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक :—19.06.2017

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खतौनी सं0 19 के आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, 158 रकबा 1 बीघा 19, 164/3 रकबा 6 बिस्वा, 164/2 रकबा 4 बिस्वा, 168/2 रकबा 5 बिस्वा, 191/1 रकबा 8 बिस्वा, 192 रकबा 2 बिस्वा, 193 रकबा 2 बिस्वा, 194 रकबा 3 बिस्वा, 195/2 रकबा 14 बिस्वा, 195/3 रकबा 11 बिस्वा, 196/2 रकबा 1

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बीघा 14 बिस्वा, 187 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 198 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 199 रकबा 6 बिस्वा, 200 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 201 रकबा 4 बिस्वा, 202/2 रकबा 1 बीघा, 203 रकबा 9 बिस्वा, 204/2 रकबा 2 बीघा, 205 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 206 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 207 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 209 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, 210 रकबा 4 बिस्वा, 211/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 214/2 रकबा 1 बिस्वा, 215/2 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 28 कुल रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बासडी जोगियान, तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमे वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/4 हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है। तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है, उक्त आराजी वरवक्त छगना के देहान्त के पश्चात् वादी एवं वादी के भाईयों के विरासत का नामान्तकरण खुला उस समय वादी नाबालिग था एवं वादी को गांव में बचपन में श्योसहाय नाम से पुकारने से उक्त विरासत व अन्य आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्योराम की जगह श्योसहाय दर्ज हो गया उक्त राजस्व रिकार्ड में श्योसहाय पुत्र छगना के स्थान पर श्योराम पुत्र छगना किया जाना न्यायोचित है। श्योसहाय पुत्र छगना एवं श्योराम पुत्र छगना, जाति जाट, ग्राम बासडी जोगियान, तह. फागी में एक ही व्यक्ति है इस नाम के अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। बल्कि वादी का राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड एवं ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व अन्य आराजी की जमाबंदी से पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादी का नाम श्योराम पुत्र छगना सही है इसलिये वादी का नाम श्योसहाय की जगह श्योराम राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादी उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरस्ती इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। वादी ने उक्त आराजीयात

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाउ बना लिया है उक्त आराजीयात का वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। एवं शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन राजकिय कर्मचारीयो के सहवन से एवं वादी के अनपढ़ व काश्तकार होने से उक्त सही नाम की जानकारी नही हुयी एवं वादी को श्योराम एवं श्योसहाय के नाम से पुकारते थे इसलिये दोनो ही नामो से उक्त आराजी में नाम भी अलग–अलग हो गये जबकि वादी का नाम श्योराम पुत्र छगना सही है उक्त रिकार्ड में श्योराम पुत्र छगना की जगह श्योसहाय पुत्र छगना हो गया जो गलत है जबकि वादी का नाम श्योराम पुत्र छगना सही है जिसका राजस्व रिकार्ड में वादी अपना नाम श्योसहाय के स्थान पर श्योराम करवाने का कानूनन अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनांक 27.05.2017 को वादी ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका नाम रिकार्ड में श्योसहाय है जबकि सही नाम श्योराम है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत् कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद कारण दिनांक 27.05.2017 को पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने व बैंक द्वारा लोन नही देने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादी का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं. 1 को लेण्ड होल्डर होने से एवं दावा दुरस्ती इन्द्राज का होने से पक्षकार कायम किया गया है। वादी का वाद बाबत् घोषणा 1/रू0 व स्थाई निषेधाज्ञा 1/रू0 व 1/रू0 दुरस्ती इन्द्राज कुल 3/रू0 कोर्ट फीस स्टाम्प पर प्रस्तुत है। जो रा0टी0एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त है। पक्षकारान का निवास व विवादित आराजीयात् मान्य न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से श्रीमान् न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

क्षैत्राधिकार है। वादी/प्रार्थी है कि :– वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावें कि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित अनुसार आराजी में वादी दर्ज राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड में श्योसहाय पुत्र छगना के स्थान पर श्योराम पुत्र छगना दुरूस्त किया जाकर पालना बाबत् तहसीलदार फागी को आदेश फरमाया जावें। प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावें कि वे वादी की आराजीयात् में किसी प्रकार से उपयोग–उपभोग में दखल अंदाजी नहीं करें, न ही अन्य किसी हाली–सीरी ऐजेन्ट–सर्वेण्ट से करावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं0 1 से दिलाया जावे। दीगर अनुतोष जो मुफीद वादी को अता फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर मान्य न्यायालय में जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी ने जवाब दावा में वादी के नाम उक्त आराजी होना एवं उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त होना बताया है वादी श्योसहाय पुत्र छगना एवं श्योराम पुत्र छगना एक ही व्यक्ति है इस व्यक्ति के नाम के अलावा अन्य कोई व्यक्ति ग्राम बासडी जोगियान में नही है। वादी के पिता की विरासत का नामांतकरण के समय वादी के नाबालिग होन से बोलता नाम श्योसहाय कर दिया। वादी खातेदार श्योसहाय पुत्र छगना के स्थान पर श्योराम पुत्र छगना दुरस्त करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला– जयपुर

वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं वादी ने दस्तावेज जमाबन्दी खतौनी संख्या 209 मतदाता

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

पहचान पत्र, ग्रामपंचायत का प्रमाण पत्र, परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड एंव स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बासडी जोगियान के वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बर, तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात वादी को अपने पिता की विरासत में प्राप्त हुई है वादी के अनपढ़ एवं नाबालिग व जानकारी नही होने से सहवन से वादी का नाम विरासत के नामांतकरण में श्योराम की जगह श्योसहाय गलत दर्ज हो गया। उक्त आराजीयात पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है उक्त आराजी का विरासत का नामान्तकरण वादी के पक्ष में खुल गया है उक्त आराजी का वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी का नाम श्योसहाय गलत दर्ज हो गया तहसीलदार फागी की रिपोर्ट में भी नाम गलत होना स्वीकार किया है वादी ने रिकार्ड पेश किए है ग्राम बासडी जोगियान की अन्य आराजी में वादी का सही नाम श्योराम पुत्र छगना दर्ज है मतदाता पहचान पत्र व राशनकार्ड, आधार कार्ड में भी श्योराम पुत्र छगना सही नाम अंकित है ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र एंव स्वंय का शपथ पत्र में भी श्योराम पुत्र छगना अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

वाद पत्र, जवाब दावा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी ने वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर अंकित किया है ग्राम बासडी जोगियान के वाद पत्र में अंकित खसरा नम्बर, तह. फागी, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात वादी को अपने पिता की विरासत से प्राप्त हुई है। वादी का नाम जमाबन्दी में वादी के नाबालिग व अनपढ़ एवं जानकारी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

नही होने से सहवन से वादी का नाम श्योराम की जगह श्योसहाय गलत दर्ज हो गया। उक्त आराजीयात पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है उक्त आराजी का विरासता का नामान्तकरण वादी के पक्ष में खुल गया है उक्त आराजी का वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी का नाम श्योसहाय गलत दर्ज हो गया तहसीलदार फागी की रिपोर्ट में भी नाम गलत होना स्वीकार किया है वादी ने रिकार्ड पेश किए है ग्राम बासडी जोगियान की अन्य आराजी में वादी का सही नाम श्योराम पुत्र छगना दर्ज है मतदाता पहचान पत्र व राशनकार्ड, आधार कार्ड में भी श्योराम पुत्र छगना सही नाम अंकित है ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र एंव स्वंय का शपथ पत्र में भी श्योराम पुत्र छगना अंकित है। उपरोक्त के आलोक में लोक अदालत की भावना से वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर खतौनी सं0 19 के आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, 158 रकबा 1 बीघा 19, 164/3 रकबा 6 बिस्वा, 164/2 रकबा 4 बिस्वा, 168/2 रकबा 5 बिस्वा, 191/1 रकबा 8 बिस्वा, 192 रकबा 2 बिस्वा, 193 रकबा 2 बिस्वा, 194 रकबा 3 बिस्वा, 195/2 रकबा 14 बिस्वा, 195/3 रकबा 11 बिस्वा, 196/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 187 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 198 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 199 रकबा 6 बिस्वा, 200 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 201 रकबा 4 बिस्वा, 202/2 रकबा 1 बीघा, 203 रकबा 9 बिस्वा, 204/2 रकबा 2 बीघा, 205 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 206 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 207 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 209 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, 210 रकबा 4 बिस्वा, 211/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 214/2 रकबा 1 बिस्वा, 215/2 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 28 कुल रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा भूमि

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

वाके ग्राम बासडी जोगियान, तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/4 हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्योसहाय पुत्र छगना की जगह श्योराम पुत्र छगना दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है निर्णय मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो पालना बाबत् तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.06.2017 को केम्प कोर्ट ग्रा.पं. मोहब्बतपुरा में सरे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालतः– उपखण्ड अधिकारी मुकाम फागी, जिला जयपुर।

राजस्व केम्प कोर्ट ग्रा.पं. मोहब्बतपुरा

इजलासः– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

1. श्योराम पुत्र छगना, जाति जाट, निवासी
   बासडी जोगियान, तह. फागी, जिला जयपुर बनाम तहसीलदार

मुकदमा नं. 63/2017

उपखण्ड अधिकारी, फागी ★ जिला–जयपुर ★

यह मुकदमा आज वास्ते इनेफिसाल कतई रूबरू सावन कुमार चायल आर.ए.एस. ने हाजिरी श्री सीताराम सैनी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू सरकारी पैरोकार प्रतिवादी मिन जानिब मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर खतौनी सं0 19 के आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, 158 रकबा 1 बीघा 19, 164/3 रकबा 6 बिस्वा, 164/2 रकबा 4 बिस्वा, 168/2 रकबा 5 बिस्वा, 191/1 रकबा 8 बिस्वा, 192 रकबा 2 बिस्वा, 193 रकबा 2 बिस्वा, 194 रकबा 3 बिस्वा, 195/2 रकबा 14 बिस्वा, 195/3 रकबा 11 बिस्वा, 196/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 187 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 198 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 199 रकबा 6 बिस्वा, 200 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 201 रकबा 4 बिस्वा, 202/2 रकबा 1 बीघा, 203 रकबा 9 बिस्वा, 204/2 रकबा 2 बीघा, 205 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 206 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 207 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 209 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, 210 रकबा 4 बिस्वा, 211/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 214/2 रकबा 1 बिस्वा, 215/2 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 28 कुल रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बासडी जोगियान, तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/4 हिस्से

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्योसहाय पुत्र छगना की जगह श्योराम पुत्र छगना दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निज.......................................मुबलिग..बाबत्............................ .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..................................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19.06.2017 को जारी की गई।

दस्तखत...............
उपखण्ड अधिकारी

ओहदा.................
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला जयपुर

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुददयलह	रूपये	पैस
स्टाम्प अर्जा दावा			स्टाम्प अर्जा दावा		
स्टाम्प वकालतनाम			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान	—nil—		खर्चा गवाहान	—nil—	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी (जयपुर)